कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / उ.प्र.–01 / 2026–27 दिनांकः–

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः– **राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों एवं उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2026 से महंगाई राहत के शासनदेशों का प्रेषण।**

संदर्भः–
1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय उत्तरप्रदेश, प्रयागराज से प्राप्त पत्रांक पेंशन विविध / 26028 दिनांक 29.6.2026.
2. उ.प्र.शासन वित (सामान्य) अनुभाग–03 का पत्र संख्या 3 / 2026 / सा–3–256 / दस–2026 / 301 / 2000टी.सी. दिनांक 21.05.2026.
3. उ.प्र.शासन वित (सामान्य) अनुभाग–03 का पत्र संख्या 06 / 2026 / आइ / 1358238 / 2026 / 10–22099 / 1401 / 2020 दिनांक 09.06.2026.

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय उत्तरप्रदेश, प्रयागराज से प्राप्त शासनादेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर भुगतान करने की व्यवस्था करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.agmp.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / उ.प्र.–01 / 2026–27 / 1945 **दिनांकः–** 14-7-26

प्रतिलिपिः–

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन विविध, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय उत्तरप्रदेश, प्रयागराज से प्राप्त पत्रांक पेंशन विविध / 26028 दिनांक 29.06.2026 के संबंध में सूचनार्थ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

R-2559

SP- 933548369 126618

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
Indian Audit and Accounts Department
Office of the Accountant General (A&E)
Uttar Pradesh, Prayagraj

सत्यमेव जयते

Special Seal Authority

पत्रांक- पेंशन विविध/26028

दिनांक 29/06/2026

सेवा में,

Sr. Accounts Officer/Pension,

P.A.G. (A&E)- I, Madhya Pradesh,

Lekha Bhawan,Jhansi Road Gwalior - 474002

विषय:-राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों एवं उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-2026 से महँगाई राहत के शासनादेशों का प्रेषण।

शासनादेश: -(1)-3/2026/सा-3-256/दस-2026/301/2000 टी०सी० लखनऊ, दिनांक–21/05/2026

(2)-06/2026/आई1358238/2026/10-22099/1401/2020 लखनऊ, दिनांक–09/06/2026

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों एवं उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-2026 से महँगाई राहत के आदेश की प्रति विशेष मुद्रांकन सहित संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

PA

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि

कार्या. महालेखाकार
पंजी...
06 JUL 2026
महालेखाकार
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

Sh. Madhav
09/7/26
DA 153
9.7.26

भवदीय

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन विविध

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-3/2026/सा-3-256/दस-2026/301/2000टी.सी.

लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-25/2025/सा-3-627/दस-2025/301/2000 टी.सी. दिनांक 17.10.2025 द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2025 से महँगाई राहत की दर 55 प्रतिशत से बढ़ा कर 58 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2026 से महँगाई राहत 02 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त 02 प्रतिशत की बढ़ोतरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 01 जनवरी, 2026 से 60 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनाँक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे संबंधित पूर्व के शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष/ कोषाधिकारीगण।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1,2 एवं ऑडिट-1,2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3) महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(4) समस्त राज्यों के महालेखाकार।

आज्ञा से,
राहुल कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Government of Uttar Pradesh

Finance (General) Section-3

No. 3/2026/G-3-256/10-2026/301/2000T.C.

Dated: Lucknow: 21 May, 2026

Office-Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil/family pensioners.

Vide government order No. 25/2025/G-3-627/10-2025/301/2000T.C. Dated 17 October, 2025 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 55 percent to 58 percent w.e.f. July 01, 2025.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 02 percent w.e.f. January 01, 2026 on the pension/family pension revised/determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh pay Committee 2016.

3- As a consequence of the above-mentioned 02 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 58 percent to 60 percent with effect from January 01, 2026.

4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee

5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings/corporations etc in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners/family pensioners are being issued.

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/Technical Education Departments, whose pension/family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

7- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81 dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

Vijai Kumar Singh

Special Secretary, Finance.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

No. & date as above.

Endorsement to,

(1)-All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries to the Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers.

(2)-Accountant General (Account & Entitlement) 1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh, Prayagraj.

(3)-Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

(4)-Accountants General of all states.

By order
Rahul Kumar
Under Secretary, Finance.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-06/2026/आई/1358238/2026/10-22099/1401/2020

लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-2026 से महँगाई राहत की स्वीकृति।

उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के अधीन नहीं हुआ है अथवा नहीं होना है, को राज्य सरकार द्वारा कार्यालय-जाप संख्या-29/2025/आई/1137406/2025-फा0नं0-10-22099/1401/2020 दिनांक-10 नवम्बर, 2025 द्वारा दिनांक 01-07-2025 से देय महँगाई राहत की मासिक दर 257 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी।

2- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के अधीन नहीं हुआ है अथवा नहीं होना है, को दिनांक 01-01-2026 से निम्नानुसार महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तिथि जब से देय है	महँगाई राहत की मासिक दर
01-01-2026	262 प्रतिशत

3- यह स्पष्ट किया जाना है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन स्वीकृत अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

6- उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र० शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।
8- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
9- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10- महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
राहुल कुमार
अनु सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।